

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(41)ग्रावि/गुप-3/08

जयपुर, दिनांक

22 JUN 2009

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
राजस्थान ।

विषय:-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल के सीमाज्ञान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान अन्तर्गत जिले द्वारा स्वीकृत कार्य का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सीमा ज्ञान नहीं कराया जाता एवं कार्य की मांग होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है । कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सीमा ज्ञान नहीं कराने से कार्य की प्रगति पर व्यवधान पैदा होता है । साथ ही अनावश्यक रूप से जिलों के कार्य स्थल पर रोड़ जाम व प्रदर्शन व हड़ताल करने के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर व आम जन को काफी परेशानियां उत्पन्न होती है ।


अतः इस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्षेत्र के सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से कार्य स्थल का वास्तविक सीमा ज्ञान प्राप्त किया जाकर ही कार्य प्रारम्भ किया जावे ।

भवदीय,

 19/6

आयुक्त, ई.जी.एस.

प्रतिलिपि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

 19/6
आयुक्त, ई.जी.एस.